जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर

प्रोवेट संख्या 16/2008

दिनांक 17.04.2025

आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.06.2024 और प्रतिउत्तर दिनांक 26.07.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा वर्ष 2009 से वर्ष 2010 तक कुल पांच साक्षियों को प्रस्तुत किया गया और बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आवेदक के गवाही का शपथ पत्र अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 द्वारा दिनांक 11.05.2022 को कार्यालय को निर्देशित किया गया कि वह साक्षियों को अभिलेख पर लगाये। इसी संबंध में आवेदक द्वारा विविध वाद विद्वान जिला जज साहब के यहां दाखिल किया गया किन्तु आदेश के बावजूद कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आया। आवेदक साक्षी संख्या 4 सीताराम राय एवं आवेदक साक्षी संख्या 5 राकेश ओझा की मृत्यु हो चुकी है और आवेदिका हृदय रोग से पीड़ित है इसी आलोक में आवेदन में प्रार्थना की गयी है कि पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। इससे संबंधित प्रतिउत्तर में आवेदन का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना की गयी है। और चर्चा की गयी है कि विविध वाद संख्या 152/2022 अभी भी लंबित है अतः पुनः साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है और प्रतिपरीक्षण के क्रम में जो भी विपरीत तथ्य आवेदक के विरूद्ध समाने आया है उससे बचने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित पक्षों को सुना गया एवं अभिलेख का आवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 15.12.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कार्यालय को दिनांक 06.01.2022 तक सभी पांच शपथ खोजकर अभिलेख पर संलग्न करने का आदेश दिया गया था और इसी आलोक में संबंधित कार्यालय लिपिक द्वारा दिनांक 31.01.2022 को यह प्रतिवेदन दिया गया है कि यह अभिलेख विद्वान ए0डी0जे0–6 के यहां से ही खोये गये दस्तावेजों को लगाने हेतु चला आ रहा है और इसकी गवाही विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई थी। पुनः दिनांक 11.05.2022 को इसी तरह का आदेश कार्यालय को दिया गया था।

दिनांक 23.052025 को अग्रतर कार्रवाई हेतु।

(गौरव कमल)
लेखापित
जिला न्यायाधीश–तृतीय

Web Copy not Official